न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/69/2025	2025/173	05.02.2025	29.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. भभूती पुत्र छाज्या जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज0)।

–अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–

01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी

–:निर्णय:–

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम खेडाकल्याणपुर, तहसील कठूमर, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 579/614 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थी भभूती पुत्र छाज्या जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज० के नाम ग्राम खेडाकल्याणपुर खसरा नम्बर साबिक 579 रकबा 03.06 बीघा भूमि कृषि हेतु आंवटन होकर नामान्तरण संख्या 206 पर दिंनाक 16.03.1992 गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके हाल खसरा नम्बर 579/614 पर रकबा 0.51 है० दर्ज है।

ग्राम खेडाकल्याणपुर में खसरा नम्बर 579/614 में दिंनाक 16.03.1992 में गैर सायलान के नाम आंवटित हुई थी। वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 से लगातार खाता संख्या 177 पर गैर खातेदारी दर्ज रिर्कोड है। ग्राम खेडाकल्याणपुर की मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2028 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 579 मिन रकबा 03.06 बीधा के हाल खसरा नम्बर 579/614 रकबा 0.51 है० बना है।

आवंटी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा न0 579/614 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर की आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित उक्त आराजी खसरा न0 579/614 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

के लिए किया गया था। आराजी खसरा न0 579/614 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर गैर खातेदार अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का खेडाकल्याणपुर की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेडाकल्याणपुर के आराजी खसरा न0 579/614 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वर्तमान में अप्रार्थी भभूती पुत्र छाज्या जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। लेकिन उक्त आवंटित भूमि आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई, जिससे आवंटी/अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण आवंटन खारिज किया जाना उचित है। रिपोर्ट पटवारी हल्का खेडाकल्याणपुर से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि का आवंटन होने के बाद अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी/अप्रार्थी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी एवं द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा न0 579/614 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)